Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013
(BHADRA 15, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th September, 2013

No. 20—HLA of 2013/63.—The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 20—HLA of 2013

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Act, 2013. Short title.

Amendment of section 2 of Haryana Act 8 of 1975.

2. In section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), -

(I) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

'(c) "colony" means an area of land divided or proposed to be divided into plots or flats for residential, commercial, industrial, cyber city or cyber park purposes or for construction of flats in the form of group housing or for the construction of integrated commercial complexes or for division into plots for low-density eco-friendly colony, but an area of land divided or proposed to be divided:- -

(i) for the purpose of agriculture; or

(ii) as a result of family partition, inheritance, succession or partition of joint holding not with the motive of earning profit; or

(iii) in furtherance of any scheme sanctioned under any other law; or

(iv) by the owner of a factory for setting up a housing colony for the labourers or the employees working in the factory, provided there is no profit motive; or

(v) when it does not exceed one thousand square metres or such less area, as may be decided from time to time in an urban area to be notified by the Government for the purpose of this sub-clause;

shall not be a colony;'; and

(II) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ja) "low-density eco-friendly colony" means a colony that fulfils such norms and guidelines for achieving ecological sensitivity, minimum environmental impact, sustainability and self-sufficiency in terms of natural resources, energy resources and also conforms to such residential density norms, as may be prescribed;'.

Amendment of section 3 of Haryana Act 8 of 1975

3. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, the signs and words ".The application shall be accompanied by an income-tax clearance certificate" shall be omitted.

4. After section 7A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: Insertion of section 7B in Haryana Act 8 of 1975

"7B. Time limit for completion of a specific category of colony.— (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, by notification, specify a time limit for completion of a specific category of colony. If the colonizer fails to complete the laying out of any such specific category of colony in accordance with the approved lay out plans or to execute internal development works as per the approved design and specifications or to apply for grant of completion certificate under sub-section (6) of section 3 within the specified time limit, the Director shall not entertain any application for renewal of the licence and shall issue a show cause notice as to why the licence granted may not be treated as lapsed. The colonizer shall reply to the show cause notice within a period of thirty days from the receipt of such a notice.

(2) On receipt of the reply to the show cause notice issued under sub-section (1), the Director shall give an opportunity of hearing and after making such enquiry, as deemed necessary and for reasons to be recorded in writing,-

(i) if satisfied, that the delay in execution of development work was for reasons beyond the control of the colonizer, renew the licence for a maximum period of twenty-four months, or part thereof, on deposit of fee at double the rate of fee prescribed for grant of the licence:

Provided that in case the renewal of the licence is allowed for a period less than twenty-four months, then proportionate renewal fee shall be deposited against such period;

(ii) if not satisfied, order that the licence has lapsed, and thereafter, within one month, shall cause a public notice to be published about the lapse of the licence in atleast two newspapers, one each in Hindi and English, having circulation in such locality.

(3) After passing the order under clause(ii) of sub-section (2), the procedure laid down under sub-sections (2),(3),(4) & (5) of section 8 shall be followed.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A policy for planned development of Low-Density-Eco-Friendly (LDEF) colonies in the agriculture zone of development plans through grant of licence under the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 is pending consideration of the Government. Being a new category of colony, enabling provisions in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 need to be made to the following effect:–

(i) Amendment of definition of the term 'colony' as defined in clause (c) of section 2 of the Act, ibid, to include 'Low Density Eco Friendly' colony in its purview;

(ii) Define 'Low Density Eco Friendly' colony in the Act, ibid, by inserting a clause (ja) in section 2 of the Act.

Hence the proposal at section 2 of the proposed Bill.

2. Secondly, the Income Tax Department has done away with the practice of issuance of Income Tax Clearance Certificate (ITCC) to the corporate entities since 01 January, 2003. However, the existing provision of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 still mandate the submission of ITCC along with the licence application, which deserves to be deleted. Hence the proposal at section 3 of the proposed Bill.

3. Finally, it has been felt that based on the intended results required to be achieved, certain category of colonies need to be completed within a defined period of time, beyond which renewal of licence needs to be discouraged. Thus, there needs to be an enabling provision in the Act to pave the way for the Government to prescribe a time limit for execution of specific category of projects to encourage early completion of such projects and also enable penal action against the colonizer in case of his failure to adhere to such time limit. Hence the proposal at section 5 of the proposed Bill.

Hence the Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh : SUMIT KUMAR,
The 6th September, 2013. Secretary.

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2013 का विधेयक संख्या 20 - एच०एल०ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवे वर्ष मे हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, *मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में*,- 1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

(I) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) ''उपनिवेश'' से अभिप्राय है, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, साईबर सिटी या साईबर पार्क प्रयोजनों के लिए या सामूहिक आवास के रूप में फ्लैट्स के निर्माण के लिए या एकीकृत वाणिज्यिक संव्यूहों के निर्माण के लिए या लोअ-डेनसिटि इको–फ्रेन्डली उपनिवेश हेतु भू–खण्डों में विभाजन के लिए भू–खण्डों या फ्लैट्स में विभाजित या विभाजित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का कोई क्षेत्र, *किन्तु विभाजित या विभाजित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का* कोई क्षेत्र–

(i) जब वह कृषि के प्रयोजन के लिए हो; या

(ii) जब वह कुटुम्ब विभाजन, विरासत, उत्तराधिकार या संयुक्त जोत के ऐसे विभाजन के परिणामस्वरूप हो, जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से न किया गया हो; या

(iii) जब वह किसी अन्य विधि के अधीन स्वीकृत किसी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए हो; या

(iv) जब वह किसी कारखाने के स्वामी द्वारा कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों या कर्मचारियों के लिए आवास उपनिवेश स्थापित करने के लिए हो, बशर्ते कि उसमें लाभ का कोई उद्देश्य न हो; या

(v) जब यह एक हजार वर्ग मीटर से अधिक न हो या इस उप–खण्ड के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय -समय पर किसी नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित किया जाने वाला यथा विनिश्चित ऐसा कम क्षेत्र,

उपनिवेश नहीं होगा ;', तथा

(II) खण्ड (ञ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(ञक) "लोअ–डेनसिटि इको–फ्रेन्डली उपनिवेश" से अभिप्राय है, कोई उपनिवेश जो प्राकृतिक सम्पदाओं, ऊर्जा संसाधनों के निबन्धनों के अनुसार पारिस्थितिक अतिसंवेदनशीलता, न्यूनतम पर्यावरण–सम्बन्धी संघात, प्रमाणिकता तथा आत्मनिर्भरता प्राप्ति हेतु विहित मानकों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों को पूरा करता हो तथा ऐसे आवासीय डैनसिटि मानकों के भी समनुरूप हो, जो विहित किए जाएं ;'।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में, "। आवेदन के साथ आयकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र लगाया जाएगा" चिह्न तथा शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 7ख का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 7ख के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"7ख. उपनिवेश के विशिष्ट प्रवर्ग को पूरा करने के लिए समय सीमा.– (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा उपनिवेश के विशिष्ट प्रवर्ग को पूरा करने के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट कर सकती है। यदि उपनिवेशक अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार उपनिवेश के किसी ऐसे विशिष्ट प्रवर्ग के अभिन्यास को पूरा करने में या अनुमोदित डिजाइन तथा विशिष्टियों के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य का निष्पादन करने या विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर धारा 3 की उप–धारा (6) के अधीन समापन प्रमाण–पत्र को देने के लिए आवेदन करने में असफल होता है, तो निदेशक अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेगा तथा कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न दी गई अनुज्ञप्ति समाप्त के रूप में समझी जाए। उप–निवेशक ऐसे नोटिस की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस का उत्तर देगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर की प्राप्ति पर, निदेशक सुनवाई का अवसर देगा तथा ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे तथा लिखित में अभिलिखित कारणों से, –

(i) यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि विकास कार्य के निष्पादन में विलम्ब उपनिवेशक के नियन्त्रण से बाहर कारणों से था, तो अनुज्ञप्ति को देने के लिए विहित फीस की दुगनी दर से फीस का निक्षेप करने पर कम से कम चौबीस मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति, या उसका भाग नवीकृत करेगा :

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति का नवीकरण चौबीस मास से कम अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाता है, तो आनुपातिक नवीकरण फीस ऐसी अवधि के विरुद्ध निक्षेप की जाएगी ;

(ii) यदि सन्तुष्ट नहीं होता है, तो आदेश करेगा कि अनुज्ञप्ति समाप्त हो गई है तथा उसके बाद, एक मास के भीतर ऐसे परिक्षेत्र में परिचालित कम से कम दो समाचार पत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रत्येक एक में अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बारे में प्रकाशित किया जाने वाला सार्वजनिक नोटिस देगा।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन आदेश पारित करने के बाद, धारा 8 की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

विकास योजनाओं के अधीन निर्धारित कृषि क्षेत्र (जोन) में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) के अन्तर्गत सरकार द्वारा "निम्न घनत्त्व पर्यावरण अनुकूल कालोनियों" की नियोजित विकास हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने बारे नीति विचाराधीन है। पूर्व–परिभाषित कालोनियों में इस नये वर्ग की कालोनी में सम्मिलन हेतु हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 में इस बारे में निम्नलिखित प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है :

(i) उपरोक्त वर्णित अधिनियम के अनुभाग (2) के खण्ड (ग) में संशोधन द्वारा "निम्न- धनत्त्व पर्यावरण अनुकूल कालोनी" को कालोनी की परिभाषा में शामिल किया जाए।

(ii) "निम्न घनत्त्व पर्यावरण अनुकूल कालोनी" को उपरोक्त अधिनियम में परिभाषित करने हेतु अनुभाग (2) में खण्ड (ण क) को अन्तरस्थापित किया जाए।

इस बारे में प्रस्तावित विधेयक का अनुभाग–2 प्रस्तुत है।

(ख) दूसरी बात, चूंकि, आयकर विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2003 से निगमित इकाईयों को "आयकर भुगतान प्रमाण–पत्र" प्रदान करने के प्रचलन को समाप्त कर दिया गया है। अतः हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के अधीन अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ वर्तमान प्रावधान के अनुसार "आयकर भुगतान प्रमाण–पत्र" जमा करने की शर्तों को इस अधिनियम से हटाना उचित है। इस बारे में प्रस्तावित विधेयक का अनुभाग–3 प्रस्तुत है।

(ग) अन्ततः, अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ श्रेणी के कालोनियों की अनुज्ञप्तियों को एक निर्धारित समय- सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है, जिसके पश्चात् अनुज्ञप्तियों के नवीकरण को भी हत्तोसाहित किया जाना उचित होगा। इसके लिए वर्तमान अधिनियम में सामर्थकारी प्रावधान किए जाने आवश्यक हैं, जिससे सरकार द्वारा ऐसी श्रेणी की कालोनियों का विकास पूर्ण करने हेतु समय–सीमा निर्धारित की जा सके, तथा, इसके द्वारा ऐसी परियोजनाओं को नियमित समय- सीमा में क्रियान्वित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके, एवं उन उपनिवेशधारकों के विरुद्ध, जो ऐसी परियोजना को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने में असमर्थ हैं, दंडात्मक कार्यवाही की जा सके। इस बारे में प्रस्तावित विधेयक का अनुभाग- 5 प्रस्तुत है।

विधेयक प्रस्तुत है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : सुमित कुमार,
दिनांक 6 सितम्बर, 2013. सचिव।